



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक :- स्टोर/अनु. वाहन/2023-24/453/171

दिनांक :- 05/3/2024

कार्यालय आदेश

मण्डल (मुख्यालय) में पदस्थापित अधिकारियों के अधीन वाहन संचालन के लिये दिनांक 01 मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 (एक वर्ष) के लिये अनुबंधित टैक्सी वाहन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 व संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 28.02.2019 एवं संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 31.03.2021, F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 05.04.2022 एवं F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 03.10.2023, एवं मण्डल की शर्तों के अधीन निम्न प्रकार से आवंटित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	वाहन प्रदाता का नाम	वाहन संख्या
1	श्री मनोज गुप्ता	मुख्य अभियंता (मु.)	श्री बलवीर सिंह	RJ14-TF 4809
2	श्री रोहिताश्व सिंह यादव	वित्तीय सलाहकार	श्री राधेश्याम	RJ02 TA 3511
3	श्रीमती दीपाली भगोतिया	सम्पदा प्रबन्धक (मु0)	श्री लोकेश कुमार मीणा	RJ14 TE 9316
4	डा. गरिमा शर्मा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक (भूमि)	श्री भागचन्द्र चौधरी	RJ14 TE 4208
5	श्री अनिल माथुर	अति. मुख्य नगर नियोजक	श्री पियुष कुमार	RJ14 TE 9961
6	श्री गिरधारी लाल जाखड़	निदेशक विधि	श्री राजेश	RJ14 TD 1513
7	श्री युवराज श्रीमाल	संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)	श्री बाबुलाल सेन	RJ14 TF 6169
8	श्री वी.एल. स्वामी	तकनीकी सहा. आवासन आयुक्त	श्री रामदेव	RJ20 TA 3556
9	श्री के.सी. ढाका	अति मुख्य अभि. (प्रथम)	श्री योगेश कुमार मीणा	RJ14 TE 3091
10	श्री प्रतीक श्रीवास्तव	उप आवा. आयुक्त गुणवत्ता नियंत्रण	श्री राजेश गुर्जर	RJ14 TF 0245
11	श्री शशीकांत शर्मा	आवा. अभि. गुणवत्ता नियंत्रण-द्वितीय	श्री राजु लाल मीणा	RJ14 TD 2598
12	श्री रोहित सिंह	आवा. अभि. गुणवत्ता नियंत्रण-प्रथम	श्री श्योजी राम चौधरी	RJ14 TF 0523
13	श्री उमेश गोयल	आवासीय अभियंता-रेरा	श्री रामफूल मीणा	RJ14 TE 5763
14	श्री ओम प्रकाश बुटोलिया	उप वित्तीय सलाहकार (बोर्ड अधिकारी)	श्रीमती दीपा शर्मा	RJ14 TE 3309
15	श्री अलकेश कुमार पाटोदिया	उप आवा. आयुक्त एवं तक. सहा. मुख्य अभियंता-द्वितीय	श्री शंकर सेन	RJ14 TE 7789
16	प्रियंका राठौड़	विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	श्री नन्द किशोर सेन	RJ14 TF 4255
17	श्री अनुज माथुर	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	श्री पवन कुमार मीणा	RJ14 TE 5711
18	श्री भारत भूषण जैन	निजी सचिव एवं समन्वयक अधिकारी	श्री देवराज	RJ26 TA 1728
19	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	श्री सुनील कुमार मीणा	RJ14 TE 9347
20	श्री सुरेश चन्द्र खण्डेलवाल	वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक	श्री गोपाल लाल सेनी	RJ14 TE 3891
21	श्री पोद्दार प्रकाश शार्दूल	वरिष्ठ नगर नियोजक	श्री लाला राम शर्मा	RJ14 TF 3824
22	श्री हंसराज दुपग्गा	तकनीकी सहायक, अध्यक्ष	श्री अक्षय चौधरी	RJ14 TE 5492
23	श्री दिलीप कुमार शर्मा	वरिष्ठ उद्घानविज्ञ	श्री हंसराज गुर्जर	RJ14 TF 2607
24	पूल - प्रथम	आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ	श्री पुरुषोत्तम सोनी	RJ14 TE 8663
25	पूल - द्वितीय	सचिव प्रकोष्ठ	श्री सुरज कुमार मीणा	RJ14 TE 0171
26	पूल - तृतीय	सहा. लेखा. स्टोर के अधीन	श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर	RJ14 TE 1222
27	पूल - चतुर्थ	सहा. लेखा. स्टोर के अधीन	श्री आशा राम चौधरी	RJ14 TE 8489


लेखाधिकारी (स्टोर)
राज. आवासन मण्डल
जयपुर

कमश:.....2

(2)

अनुबंध पर टैक्सी किराये पर लेने के लिये वाहन प्रदाताओं को भुगतान की दरें दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 तक निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

1. 1500 कि.मी. की दूरी तक न्यूनतम मासिक किराया राशि 28900/- + GST (Extra if applicable)।
2. 1500 कि.मी. से अधिक दूरी तक राशि रु. @ 10.00 प्रति कि.मी।
3. किसी भी अधिकारी के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति होने पर उनके अधीन लगा टैक्सी वाहन स्वतः ही मुख्यालय (स्टोर) के अधीन माना जावेगा। उनके स्थान पर अन्य अधिकारी के पदस्थापित होने की स्थिति में उस वाहन को उनके अधीन लगा दिया जावेगा।
4. वाहन प्रदाता/फर्म को 1000/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।
5. वाहन अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी 750/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि काटी जावेगी। एवं उस दिनांक का अनुबन्धित टैक्सी वाहन का भुगतान भी देय नहीं होगा।
6. वाहन प्रदाता से भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ मूल लॉग बुक की प्रति संलग्न प्राप्त करना आवश्यक है। शेष शर्तें मण्डल के नियमानुसार रहेगी।
7. मुख्यालय स्तर पर जिन अधिकारियों को टैक्सी/वाहन अनुबन्ध पर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में वाहन चालक द्वारा लेखाधिकारी (भण्डार) को रिपोर्ट करना होगा। जिससे वाहन को पूल में उपयोग किया जा सके। अन्यथा उस दिन अनुपस्थिति मानते हुये रुपये पेनल्टी 750/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी। एवं उस दिनांक का अनुबन्धित टैक्सी वाहन का भुगतान भी देय नहीं होगा।
8. सहायक लेखाधिकारी (भण्डार प्रकोष्ठ) के अधीन लगाये गये पूल वाहनों के वाहन चालक प्रतिदिन भण्डार प्रकोष्ठ में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। अन्यथा अनुपस्थिति मानते हुये रुपये पेनल्टी 750/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी। एवं उस दिनांक का भुगतान भी देय नहीं होगा।
9. वाहन प्रदाता अनुबन्धित वाहन को अन्य एजेन्सीज (OLA/UBER) आदि में प्रयोग में नहीं लेगा।

नोट : निर्धारित श्रेणी से अधिक वाहन चलाने पर श्रीमान् आवासन आयुक्त महोदय की स्वीकृति के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

लेखाधिकारी (स्टोर)
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. लेखाधिकारी (भुगतान)।
6. संबंधित अधिकारी.....
7. संबंधित वाहन प्रदाता.....
8. नोटिस बोर्ड।
9. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी (स्टोर)
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर